भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-128

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

विद्यालक्ष्मी योजना का विस्तार

†128. **श्री डी. एम. कथीर आनंद:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उच्च रैंक वाले संस्थानों के बाहर पढ़ रहे छात्रों तक विद्यालक्ष्मी योजना का विस्तार करने के लिए किए गए प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के पूरी तरह से कब तक चालू होने की उम्मीद है और क्या वर्तमान में वित्तीय बाधाओं से जूझ रहे छात्रों को कोई अंतरिम सहायता उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की उक्त योजना के तहत गरीब छात्रों को ऋण प्राप्त करने के लिए सीबिल स्कोर के संबंध में मानदंडों और शर्तों में ढील देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार इस योजना की स्थिरता किस प्रकार सुनिश्चित करती है और क्या लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के साथ बजट आवंटन को बढ़ाने या समायोजित करने के लिए कोई रूपरेखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या स्नातक होने के बाद वित्तीय चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों के लिए ऋण चुकौती शर्तों को सरल बनाने या ऋण माफी प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना दिनांक 6 नवंबर, 2024 को शुरू की गई है। इस योजना के तहत शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वाले छात्रों को संपार्श्विक मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। इन क्यूएचईआई का चयन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाता है:

- शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एनआईआरएफ की नवीनतम सूची में समग्र/श्रेणी-विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 रैंक वाले उच्च शिक्षा संस्थान; साथ ही
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एनआईआरएफ की नवीनतम सूची में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के शासन के तहत शीर्ष 200 रैंक वाले एचईआई; साथ ही
- भारत सरकार के अभिशासन के तहत सभी शेष एचईआई।

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए क्यूएचईआई की सूची तैयार करने के लिए एनआईआरएफ 2024 रैंकिंग पर विचार किया गया है और इसके लिए 860 क्यूएचईआई का चयन किया गया है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत शिक्षा ऋण की स्वीकृति हेतु छात्रों का सीबिल स्कोर कोई मानदंड नहीं है।

(घ): इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, इस योजना में 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट दी जाती है। शिक्षा ऋण पर कोई अन्य छात्रवृत्ति या ब्याज छूट नहीं पाने वाले एक लाख नए छात्रों को यह ब्याज छूट मिलेगी। इस ब्याज छूट की अवधि अधिस्थगन अवधि अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि तथा एक और वर्ष है। वर्ष 2024-25 से 2030-2031 तक ब्याज छूट का कुल परिव्यय 3,600 करोड़ रुपये है।

(ड.): केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन (पीएम-यूएसपी सीजीएफएसईएल) के तहत 7.50 लाख रुपये तक के स्वीकृत शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है। गारंटी कवर बकाया डिफ़ॉल्ट के 75% तक है। इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ की मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत, शिक्षा ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि प्लस एक वर्ष) के बाद 15 वर्ष तक है।

****